छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 07/2001

याचिकाकर्ता आर. मुखोपाध्याय

विरूद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

रिट याचिका (एस) क्रमांक 7090/2007

याचिकाकर्ता एम.के. खस्तगीर

विरूद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

एवं

रिट याचिका क्रमांक 1335/2005

याचिकाकर्ता हरि सिंह कंवर

विरूद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-

आर.एन.चंद्राकर

न्यायाधीश

दिनांक 16 जून, 2009 आदेश हेतु नियत

हस्ताक्षरित/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठः माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा,एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका क्रमांक 07/2001

याचिकाकर्ता आर. मुखोपाध्याय, विधि प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड,बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. भारत संघ द्वारा सचिव, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. आयुक्त, भविष्य निधि कोयला खान

3.आयुक्त, भविष्य निधि क्षेत्रीय कोयला खान बिलासपुर।

4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (एस) क्रमांक 7090/2007

याचिकाकर्ता एम.के. खस्तगीर, आयु लगभग 60 वर्ष,
आत्मज श्री स्वर्गीय एन.सी. खस्तगीर,
निवासी बी-50, एसईसीएल इंदिरा विहार,
बिलासपुर- 495006

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. भारत संघ द्वारा सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. आयुक्त, भविष्य निधि, क्षेत्रीय कोयला खान सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

3. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष सह-प्रबंधक निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर।

एवं

रिट याचिका क्रमांक 1335/2005

याचिकाकर्ता	हरि सिंह कंवर, आयु लगभग 58 वर्ष, आत्मज नारायण सिंह कंवर, निवासी मकान क्रमांक 48/920 पुराना सरकंडा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
	विरूद्ध
उत्तरवादीगण	1. भारत संघ (सचिव द्वारा) कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
	2. आयुक्त, भविष्य निधि, कोयला खान धनबाद (झारखंड)।
	3. क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, कोयला खान बिलासपुर।
	4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495006 ।
	5. केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा प्रबंधक ट्रस्टी/वित्त सीसीएल दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

याचिकाकर्ता व्यक्तिग उपस्थित	:रिट याचिका क्रमांक 07/2001 में
श्रीमान अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय	:याचिका क्रमांक 7090/07 में याचिकाकर्ता की ओर से।
श्रीमान आर. मुखोपाध्याय एवं श्रीमान गैरी मुखोपाध्याय, अधिवक्तागण	: याचिका क्रमांक 1335/2005 में याचिकाकर्ता की ओर से, ।
श्रीमान एस.के. बेरीवाल, अधिवक्ता	:समस्त याचिकाओं में उत्तरवादीगण-भारत संघ की ओर से।
श्रीमान आलोक बख्शी, अधिवक्ता से	: सभी याचिकाओं में उत्तरवादीगण-

श्रीमान ए.एस. गहरवार, अधिवक्ता की ओर ।	कोयला खदान भविष्य निधि की ओर से।
श्रीमान पी.एस. कोशी, अधिवक्ता	: याचिका क्रमांक 07/2001 एवं याचिका क्रमांक 7090/07 में उत्तरवादीगण एसईसीएल की ओर से।
श्रीमान एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ सुश्री रिंकी ताम्रकार, अधिवक्ता	:याचिका क्रमांक 1335/2005 में उत्तरवादीगण एसईसीएल की ओर से।

आदेश

(16 जून, 2009 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इन समस्त याचिकाओं का निराकरण इस समान आदेश द्वारा किया जा रहा है, इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1948') की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है, कोयला खान भविष्य निधि योजना (संक्षेप में 'योजना') की कंडिका-61 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

2. इस याचिका क्रमांक 07/2001 (आर. मुखोपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य) के तथ्यों के संदर्भ में आदेश के प्रयोजनार्थ, दिया जाता है।

3. संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्तागण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में 'एसईसीएल') के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। याचिकाकर्ता आर. मुखोपाध्याय एवं एम.के. खस्तगीर क्रमशः तत्कालीन रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं चिरमिरी कोलियरी कंपनी लिमिटेड में अपनी सेवाएँ देने के उपरांत कोल माइंस भविष्य निधि (संक्षेप में 'सीएमपीएफ') के सदस्य बन गए। जबकि, याचिकाकर्ता हरि सिंह कंवर, केंद्र सरकार के उपक्रम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (संक्षेप में 'एनसीडीसी') में सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए एवं एनसीडीसी भविष्य निधि (संक्षेप में 'एनसीडीसीपीएफ') का सदस्य बन गये। वर्ष 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् एनसीडीसी के साथ-साथ पूर्ववर्ती निजी क्षेत्र की कंपनियाँ कोलमाइंस अथॉरिटी लिमिटेड के प्रबंधन के अधीन आ गईं। इसके पश्चात् कोयला उद्योग का

पुनर्गठन किया गया तत्पश्चात् एक सरकारी कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में 'एसईसीएल') के रूप मेंगठित की गई, जिसमें एसईसीएल सहित उसकी सहायक कंपनियाँ सम्मिलित थीं। एसईसीएल एवं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में 'सीसीएल') भी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत सरकारी कंपनियाँ हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् एनसीडीसी का कोल इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया एवं एनसीडीसी का मुख्यालय, रांची, सीसीएल का पंजीकृत कार्यालय बन गया। सीसीएल के गठन के पश्चात् एनसीडीसीपीएफ का नाम परिवर्तितकर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (संक्षेप में 'सीसीएलएसपीएफ') कर दिया गया एवं एनसीडीसीपीएफ के सदस्यों पर लागू नियम सीसीएलएसपीएफ के सदस्यों के समान ही रहे।

सीसीएलएसपीएफ नियमों के नियम 15 (ए) के अनुसार, सीसीएलएसपीएफ एक अंशदायी भविष्य निधि थी। प्रत्येक सदस्य का अंशदान उसके वेतन से काटा जाता था एवं कंपनी द्वारा कोष में समान राशि का योगदान किया जाता था। ये दोनों राशियाँ सदस्यों के खाते में जमा की जाती थीं। इसी प्रकार, सीएमपीएफ भी एक अंशदायी निधि है। नियोक्ता को कर्मचारी के समान राशि का योगदान करना होता है एवं दोनों राशियाँ प्रत्येक माह एसईसीएल के माध्यम से सीएमपीएफ में जमा करनी होती हैं। सीसीएलएसपीएफ नियमों के नियम 19 (डी) के अनुसार, सदस्य के शेष निधि पर देय ब्याज की गणना वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भारत सरकार के सामान्य भविष्य निधि के लिए निर्धारित की जाएगी, किन्तु सीएमपीएफ के सदस्यों को योजना की कंडिका 61 के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्ष 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयला खदानों के प्रत्येक कर्मचारी एक ही नियोक्ता अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड के अधीनस्थ आ गए, तथापि भविष्य निधि नियमों सहित कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न थी। अधिनियम, 1948 की धारा 3 (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलमाइंस परिवार पेंशन योजना, 1971 को समाप्त कर दिया गया तथा कोलमाइंस परिवार पेंशन योजना, 1998 के रूप में एक नई पेंशन योजना तैयार की गई। यद्यपि, इस योजना का लाभ सीसीएलएसपीएफ के सदस्यों एवं कोलमाइंस अथॉरिटी लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि के सदस्यों को नहीं दिया गया। उपरोक्त सीसीएलएसपीएफ के सदस्यों में आक्रोश होने पर इन परिस्थितियों में सीसीएलएसपीएफ के न्यासी बोर्ड ने सीसीएलएसपीएफ का सीएमपीएफ में विलय करने का संकल्प लिया चूंकि सीसीएलएसपीएफ के सदस्य भी पेंशन के पात्र बन सकें एवं तदनुसार, दिनांक 8.10.2004 को राजपत्र में प्रकाशित

अधिसूचना के द्वारा विलय किया गया। उपरोक्त विलय के परिणामस्वरूप, सीसीएलएसपीएफ के सदस्यों के खाते में जमा संपूर्ण राशि सीएमपीएफ में स्थानांतरित कर दी गई एवं तदनुसार, याचिकाकर्ता हरि सिंह कंवर भी दिनांक 13.2.2003 के पश्चात् राजपत्र अधिसूचना द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन पेंशन के पात्र हो गए। याचिकाकर्ता हरि सिंह कंवर के सीएमपीएफ का सदस्य बनने के पश्चात्, उन्हें योजना की कंडिका 61 के अनुसार वार्षिक ब्याज का भुगतान किया गया।

4. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा सामान्य रूप से की गई आपत्ति यह है कि सीएमपीएफ के सदस्यों को उनके भविष्य निधि में जमा राशि पर उस तिथि से ब्याज नहीं दिया जाता है, जिस तिथि से यह राशि उनके वेतन से कटौती की जाती है एवं समान राशि एसईसीएल द्वारा उनके सीएमपीएफ खाते में जमा की जाती है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं का सीएमपीएफ अंशदान प्रत्येक माह जमा किया जाना है, उन्हें जमा की तिथि से ब्याज भी दिया जाना चाहिए। सीएमपीएफ में सीसीएलएसपीएफ के विलय से पूर्व, याचिकाकर्ता-हरि सिंह कंवर को सीसीएलएसपीएफ नियमों के नियम 19 (डी) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत ब्याज की गणना के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाता था। जीपीएफ (केंद्रीय सेवा) नियमों के नियम 11 (2) उप-कंडिका (iii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जमा की तिथि से प्रचलित वर्ष के अंत तक पिछले वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् खाते में जमा समस्त राशियों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ब्याज की गणना की प्रणाली कंडिका 61 (2) में दी गई है, जिसके अनुसार जमा की तिथि से मासिक अंशदान के लिए कर्मचारी को कोई ब्याज देय नहीं होगा। जहां किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी का प्रारंभिक शेष शून्य है, उस स्थिति में वह संपूर्ण वर्ष के लिए किसी भी ब्याज का अधिकारी नहीं होगा, यद्यपि उसने नियमित रूप से भविष्य निधि में मासिक अंशदान जमा किया हो। योजना की कंडिका 61 (2) के अंतर्गत इस तरीके से कर्मचारी को अपने संपूर्ण सेवाकाल में ब्याज की हानि होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता-हरि सिंह कंवर को जमा की तिथि से जमा राशि पर ब्याज मिल रहा था एवं ब्याज की गणना जीपीएफ (सीएस) नियमों के नियम 11 में निर्धारित प्रकार से की गई है। सीसीएलएसपीएफ एवं सीएमपीएफ के विलय की तिथि के पश्चात्, पेंशन निधि में ब्याज के साथ पर्याप्त राशि जमा करने के पश्चात् ही सीएमपीएफ के लिए पात्र होंगे, तथापि, कोयला उद्योग में सम्मिलित होने के पश्चात् उन्हें जो लाभ मिल रहा था, वह योजना के अनुसार विलय के पश्चात् वापस ले लिया गया। योजना की कंडिका 61 (2) के अंतर्गत ब्याज की गणना अवैध एवं एक पक्षीय है।

6. उत्तरवादीगण क्रमांक 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क किया कि केंद्र सरकार द्वारा यह योजना भविष्य निधि अंशदान एवं उसके निवेश पर सर्वोत्तम संभव प्रतिफल प्रदान करने हेतु, जमा राशियों पर अधिकतम सुरक्षा के साथ, साथ ही योजना के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करते हुए, निधि को विश्वसनीय बनाए रखने हेतु तैयार की गई है। तुलनात्मक तालिका से स्पष्ट है किसी एमपीएफ संगठन द्वारा विवेकपूर्ण निवेश के कारण, इसके अंशदाताओं को जीपीएफ अंशदाताओं की समान रूप् से अधिक ब्याज दर प्राप्त हो रही है, जीपीएफ एवं सीएमपीएफ अधिनियम के प्रावधानों की समानता नहीं की जा सकती। भविष्य निधि योजना, 1952 सीएमपीएफ अधिनियम के अंतर्गत यह योजना उद्योग-विशिष्ट के रूप में तैयार की गई है, जिससे लगभग 3 करोड़ कर्मचारियों को लाभान्वित करती है, जिन्हें मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। उक्त योजना ई.पी.एफ. योजना, 1952 की कंडिका 2 (एफ) (ii) के अंतर्गत ऐसे अंशदाता को सदस्य बनने से प्रतिबंधित करती है जिसका मासिक वेतन 6500/- रुपये से अधिक है। यद्यपि, इस योजना के अंतर्गत ऐसा कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के सदस्यों को नियोक्ता से 12% अंशदान का लाभ मिल रहा है। आय की किसी सीमा के अभाव में, कोयला कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी के द्वारा योगदान पर मिलने वाले ब्याज के अतिरिक्त अपने नियोक्ता से प्रति माह 7,000/- से 8,000/- रुपये का योगदान मिल रहा है। 1952 ईपीएफ योजना के अंतर्गतकुछ कर्मचारियों के लिए योगदान समस्त वेतन का 10% है तथा अन्य के लिए यह समस्त वेतन का 12% है, तथा, इस योजना में बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की श्रेणी एवं उनकी आय के अतिरिक्त 12% योगदान का प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क किया गया कि याचिका क्रमांक 6402/2002 (पी.एन. चक्रवर्ती विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य) एवं याचिका क्रमांक 6431/02 (जी.के. मित्रा विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य) में इसी प्रकार की सहायता की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई थीउन्हें उच्च न्यायालय ने 26-02-2004 को निरस्त कर दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 10382/2004 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे दिनांक 17.9.2004 के आदेश द्वारा समयबद्ध के अनुसार निरस्त कर दिया गया था। (अनुलग्नक R-16 से R-18, याचिका क्र.1335/05)।

7. उत्तरवादीगण- भारत संघ एवं उत्तरवादीगण-एसईसीएल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा समान्य अग्रिमतर्क प्रस्तुत किया है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गैरी मुखोपाध्याय ने तर्क दिया कि पूर्व में प्रस्तुत याचिकाओं जिसमें समान अनुतोष मांगा गया था, जिसे इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया है कि "उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यासी बोर्ड ने प्ररकणों के विभिन्न बिन्दुओं पर विचारण करने के पश्चात् निर्णय लिया है कि मूल शेष राशि पर वर्ष के अंत में ब्याज की

गणना की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कोई प्राधिकार प्रस्तुत नहीं किया है कि यह योजना स्वेच्छापूर्वक एवं अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है"। विशेष अनुमति याचिका को गुण-दोष पर विचार किए बिना प्रारंभ में ही निरस्त कर दिया गया है।

ए.आई.आर. 1983 एससी 130 में रिपोर्ट किए गए कि डी.एस. नाकारा एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ के प्रकरण में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह तर्क दिया गया कि पूर्व दृष्टांत के अभाव में अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता है। कुन्हाया और अन्य बनाम् केरल राज्य एवं अन्य (2000) 6 एससीसी 359 में यह अवधारित किया गया कि जहां एसएलपी को निरस्त करने का कारण बताए बिना अकारण आदेश द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, यह न तो विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा ताकि आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सके और न ही ऐसा कोई कानून है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत घोषणा करे।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक उत्तरवादीगण कोल माइंस भविष्य निधि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क में इसी प्रकार की सहायता के लिए एक रिट याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दी गई है एवं इस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दी गई है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निरस्त आदेश एवं उसके पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात्, हम याचिकाकर्ताओं के तर्कों में सार पाते है कि याचिका केवल इस आधार पर निरस्त की गई है कि यह दर्शाने के लिए कि योजना स्वच्छाकारी एवं अधिकारातीत है कोई प्राधिकार प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को प्रारंभ में ही निरस्त कर दिया गया है एवं इसमें विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करने के कोई कारण नहीं दर्शाये गये है। डी.एस. नाकारा (पूर्वी) एवं कुन्हयाम्मेद (पूर्वी) के प्ररकणों में निर्णयों पर अवलंब लेते हुए हम यह मानते है कि इसी प्रकार के अनुतोष के लिए पहले की रिट याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंततः निरस्त कर दिये जाने से वर्तमान याचिकाएं अपोषणीय नहीं हो जाती इस कारण हम गुण-दोषों के आधार पर उक्त प्रकरण में निर्णय देने का प्रस्ताव करते है।

11. हम गुण-दोषों पर विचार करने के पूर्व, विचाराधीन कानून के इतिहास का पता लगाना प्रस्तावित करते है। कोयला खदानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना,

पारिवारिक पेंशन योजना, जमा बीमा योजना एवं बोनस योजना के प्रावधान तैयार करने के उद्देश्य से अधिनियम, 1948 (अनुलग्नक आर-1) को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11.12.1948 को अधिसूचना के अंतर्गत् कोयला खान भविष्य निधि योजना (अनुलग्नक आर-2) तैयार की गई थी। अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 (अनुलग्नक आर-3) भी तैयार की गई। धारा 3 (जी) के अंतर्गत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान जमा बीमा योजना, 1976 (अनुलग्नक आर-4) भी तैयार की गई। अधिनियम, 1948 की धारा 3 (ई) के अंतर्गत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस) (अनुलग्नक आर-5) कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर तैयार किया गया था। यह कि पूर्व के अनुच्छेदों में पूर्व में ही बताया जा चुका है, सीएमपीएस के प्रावधान सीसीएलएसपीएफ के सदस्यों पर लागू नहीं थे। सीसीएलएसपीएफ के द्वारा स्थापित सीसीएलएसपीएफ का सीएमपीएफ में उसके विलय करने के नियम की अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, सीएमपीएसएनसीडीसी के तत्कालीन कर्मचारियों पर लागू हो गई।

यह योजना संपूर्ण देश में सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत सभी कोयला खान श्रमिकों पर लागू है। योजना की कंडिका 27 में कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि में अंशदान की दर का प्रावधान है। कंडिका 29 में प्रत्येक सदस्य के अंशदान की राशि उसके वेतन से वसूलने का प्रावधान है। कंडिका 37 नियोक्ता का कर्तव्य है कि आयुक्त को फंड के प्रत्येक सदस्य से फॉर्म-ए में अपने एवं अपने नामित के संबंध में विवरण घोषित करें। योजना के अंतर्गत् सदस्यों को एक वर्ष की अवधि के लिए योगदान कार्ड जारी करें। कंडिका 41 में यह अनिवार्य है कि नियोक्ता चालू अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित एक योगदान कार्ड या फॉर्म-वाईवाई में एक खाता तैयार करेगा। योगदान कार्ड प्रस्तुत करने के लिए कंडिका 42 के अंतर्गत् प्रत्येक नियोक्ता को आयुक्त या उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे उसकी ओर से उसके द्वारा अधिकृत किया जाए, योगदान कार्ड प्रस्तुत करना है। कंडिका 42 (5) नियोक्ता द्वारा फॉर्म-वाईवाई में खाते के आधार पर गणना चालू अवधि के लिए फॉर्म-वीवी में योगदान का विवरण प्रस्तुत करना है। कंडिका 50 ए में सीएमपीएफ की राशि को इंपीरियल बैंक में प्रेषण करने के साथ सीएमपीएफ के चालू खाते में जमा किया जाये या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा । भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खंड (क) से (घ) में उल्लेखित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। कंडिका 54 के उप कंडिका 2 के अनुसार, बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य तिथियों पर निधियों की परिसंपत्तियों का एक वर्गीकृत सारांश तैयार करना होगा। योजना की कंडिका 61 उससे संबंधित है जिससे आयुक्त प्रत्येक सदस्य के खाते में उस वित्तीय वर्ष में समाप्त होने वाले कार्डों की अवधि के संबंध में ब्याज जमा करेगा। कंडिका 61 (2) में ब्याज की गणना किये जाने का वर्णन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। कार्ड की अवधि के लिए ब्याज, उस अवधि के अंतिम दिन से, उसके पहले दिन सदस्य के खाते में प्रारंभिक शेष राशि पर जमा किया जाएगा।

12. उपरोक्त प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने ब्याज की गणना को चुनौती दी है कि ब्याज की गणना उपरोक्त तरीके से की जाने पर याचिकाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष उनके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज से वंचित हो जायेंगे। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के वेतन से भविष्य निधि में अंशदान की कटौती करने के पश्चात्, उत्तरवादीगण वेतन से कटौती की तिथि से ब्याज का भुगतान करने एवं भविष्य निधि खाते में जमा करने के लिए बाध्य हैं। जमा की तिथि से ब्याज के भुगतान से इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आलोक शंकर पांडे विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य (2007) 3 एससीसी 545 में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि ब्याज समय बीतने के साथ पूंजी पर सामान्य वृद्धि है। सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज एवं इसकी गणना के संबंध में प्रावधान जीपीएफ (केंद्रीय सेवा) नियमों के नियम 11 में उल्लेखित है। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जीपीएफ के सदस्यों को जमा की तिथि से ब्याज देय है, तथापि, योजना का कंडिका 61 सीएमपीएफ के सदस्यों को जमा की तिथि से ब्याज से वंचित करना अपने आप में मनमाना एवं तर्कहीन है एवं याचिकाकर्ताओं को उनके वैध दावे से वंचित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हम पहले ही 1948 में हुए कानून के विकास का उल्लेख पूर्व में कर चुके हैं। उपरोक्त लाभकारी कानून कोयला खदान के कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाया गया है। प्रारंभ में, योजनान्तर्गत केवल सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि के सृजन के लिए प्रावधान किए गए थे। इसके पश्चात्, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पारिवारिक पेंशन के लिए एक योजना तैयार की गई। पारिवारिक पेंशन योजना को वर्ष 1971 की पिछली योजना को अधिगृहीत करते हुए वर्ष 1998 में पुनः तैयार किया गया। इससे पहले 1998 की कोयला खदान पारिवारिक पेंशन योजना (सीएमपीएस) में ऐसे कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था जो सीएमपीएफ योजना के सदस्य नहीं हैं। हालांकि, सीसीएलएसपीएफ द्वारा शासित एनसीडीसी कर्मचारियों की नाराज़गी को देखते हुए, न्यासी बोर्ड ने सीसीएलएसपीएफ को सीएमपीएफ में विलय करने का निर्णय लिया एवं इसके पश्चात् पारिवारिक पेंशन का लाभ कोयला उद्योगों के अन्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराया गया, जो पहले संबंधित नहीं थे। सीसीएलएसपीएफ के विलय से पहले, सीसीएलएसपीएफ के सदस्य जीपीएफ (सीएस) नियमों के नियम 11 के तहत ब्याज की गणना

के तरीके के अनुसार भविष्य निधि के लिए उनके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज के अधिकृत थे। सीसीएलएसपीएफ नियमों के नियम 19 (डी) के अनुसार किसी भी वर्ष में राजस्व खाते में घाटा निगम अब कंपनी से अनुदान द्वारा पूरा किया जाना था। सीएमपीएफ के सदस्य पारिवारिक पेंशन के भी अधिकृत हैं, जो लाभ सीसीएलएसपीएफ के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं था। योजना की कंडिका 54 में संचित भविष्य निधि के निवेश की प्रक्रिया विस्तृत रूप से दी गई है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ याचिकाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर पूर्ण ब्याज से वंचित किया गया हो। योजना की कंडिका 61 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि ब्याज की गणना जिस प्रकार की जाती है, वह उन्हें भविष्य निधि में उनके अंशदान जमा होने की तिथि से ब्याज के भुगतान से वंचित करती है। इस प्रकार जमा की गई भविष्य निधि का निवेश सदस्यों के भविष्य निधि खाते में जमा ब्याज की दर, को किस प्रकार किया जाएगा एवं अपने सदस्यों को भुगतान के लिए ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी, ये वित्तीय निर्णय हैं जो एक उत्तरदायी सरकार द्वारा संबंधित कर्मचारियों के समग्रहित को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए। अधिनियम, 1948 की धारा 3 (ई) के अंतर्गत यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 (ई) के तहत समय-समय पर तैयार की गई विभिन्न लाभकारी योजनाओं को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार कोयला खदान कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उदासीन है। इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्णय नहीं दे सकते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहां तक योजना की कंडिका 61 की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जीपीएफ में ब्याज की गणना के प्रकार कर्मचारियों के लिए लाभकारी है क्योंकि ब्याज की गणना जमा की तिथि से की जाती है, जबकि सीएमपीएफ योजना के अंतर्गत कर्मचारी वित्तीय वर्ष में जमा की गई राशि पर ब्याज से वंचित रह जाते हैं, दोनों योजनाओं के अंतर्गत कई विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसा कि पूर्व से ही पूर्ववर्ती कंडिकाओं में विस्तृत है। जीपीएफ एवं सीएमपीएफ के सदस्य कर्मचारियों को देय ब्याज दर में अंतर है। यह स्थापित कानून है कि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती

आक्षेपित क़ानून के प्रावधानों को उसी विषय पर भिन्न स्रोत से प्राप्त किसी अन्य क़ानून के साथ तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं हो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जब किसी क़ानून को चुनौती दी जाती है, तब उस स्थिति में न्यायालय को यह निर्धारित करना होता है कि क्या क़ानून इतना मनमाना या अनुचित है कि उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

15. भारत संघ एवं अन्य विरूद्ध धनवंती देवी एवं अन्य (1996) 6 एससीसी 44 में रिपोर्ट किए गए प्रकरण में जम्मू एवं कश्मीर अचल संपत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदाता भूस्वामी की संपत्ति अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी। भूमि अधिग्रहण की अवधि समाप्त होने के कारण भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि स्वामी को 10% वृद्धि के साथ मुआवज़ा दिया। इससे असंतुष्ट होकर दावेदार-भूमि मालिक ने अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मध्यस्थता के अंतर्गत, जिसमें मुआवजे में वृद्धि के साथ बढ़े हुए मुआवजे पर 15% क्षतिपूर्ति एवं 4% प्रति वर्ष ब्याज भी दिलाया। अपीलकर्ताओं-भारत संघ एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करके इस पर प्रश्न उठाया, हालांकि, बाद में मध्यस्थ के निर्णय की पुष्टि की गई एवं अपील निरस्त कर दी गई। अपील को स्वीकार करते हुए एवं मुआवजे पर क्षतिपूर्ति एवं ब्याज के निर्णय को रद्द करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 11 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. "ब्याज के अधिकार के प्रश्न को प्रथम प्रश्न मानते हुए, श्री वैद्यनाथन ने प्रबल रूप् से तर्क किया है, कि अचल संपत्तियों पर कब्जा लेने का कार्य आम तौर पर स्थागित भुगतान के लिए उसके प्रतिफल पर ब्याज का भुगतान करने के करार को दर्शाता है। साम्य के न्यायालय में, जब विक्रेता अचल संपत्ति के कब्जे से अलग हो जाता है, तब क्रेता उसका मालिक बन जाता है जब विक्रेता संपत्ति के बदले धनराशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है। विक्रेता, क्रेता द्वारा संपत्ति पर कब्ज़ा करने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक, संपत्ति पर कब्ज़ा बनाए रखने के बदले ब्याज का दावा करने का अधिकार है। विशिष्ट अधिकारिता की शक्ति का प्रयोग इस आधार पर, राज्य के विरुद्ध ब्याज का दावा तब किया जाता है जब वह किसी नागरिक को उसके कब्ज़े एवं उसके उपभोग से वंचित कर संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्जित करता है। समता के सिद्धांत में विस्तारित किया गया कि स्वामी को उसके कब्जे एवं उसके उपभोग से वंचित किये जाने पर विधि के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सके। अतः, समता में यह माना

गया कि, कब्ज़ा लेने की तिथि से, अधिनिर्णय की मूल राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जब तक क़ानून के अंतर्गत् भूमि अर्जित की गई थी, इसके विपरीत आशय व्यक्त न करे। इसी आधार पर, ब्याज प्राप्त करने का अधिकार, कब्ज़ा बनाए रखने एवं उसके उपभोग के अधिकार का स्थान ले लेता है। यह समान रूप से स्थापित विधि है कि साम्य वहाँ भी लागू होती है जहाँ क़ानून भूमि पर कब्ज़ा नहीं करता। इसके विपरीत, जब क़ानून क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेता है तब वैधानिक कानून को स्थान देती है।"

16. वर्तमान प्रकरण में हम पूर्व में ही मान चुके हैं कि अधिनियम, 1948 कोयला खदानों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया एक लाभकारी कानून है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न लाभकारी योजनाएँ बनाई गईं। तमिलनाडु राज्य एवं अन्य विरूद्ध अनंथी अम्मल एवं अन्य के प्रकरण में जो ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 2114 में रिपोर्ट किया गया था में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक क़ानून के प्रावधानों को दूसरे क़ानून के प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया द्वारा अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता है। आगे यह माना गया है कि जब संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क़ानून पर प्रश्न उठाया जाता है तब न्यायालय को यह निर्धारण करना होता है कि क्या क़ानून इतना मनमाना है या अनुचित है कि इसे रद्द किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक, किसी समान विषय पर किसी क़ानून का, जो किसी अन्य स्रोत से अपना अधिकार प्राप्त करता है, उल्लेख किया जा सकता है, यदि उसके प्रावधानों को उचित माना गया है या वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, केवल यह इंगित करने के उद्देश्य से कि संदर्भ में क्या उचित कहा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, हमारा मत है कि योजना की कंडिका 61 के अंतर्गत ब्याज की गणना करने की प्रणाली को मनमाना एवं अनुचित नहीं कहा जा सकता कि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा जा सके।

18. परिणामस्वरूप, याचिकाओं में कोई सार नहीं है, ये निरस्त किए जाने योग्य हैं एवं तदनुसार, इन्हें एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-
आर.एन.चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv. Nikhat Shandan Jafri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur